



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 553 राँची, शुक्रवार, 28 अग्रहायण, 1947 (श०)
19 दिसम्बर, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना
27 जून, 2024

संख्या-14/विविध-18/2023-3908--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों / आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015 एवं नौवीं से ग्यारहवीं संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या-4987, दि०-18.09.2019 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचित किया गया है।

3. विभागीय उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित कतिपय झारखण्ड आन्दोलनकारियों के देहावसान के पश्चात् उनके आश्रितों को लाभ देने हेतु नामित करने संबंधी प्रस्ताव/ प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-682, दिनांक-29.05.2024 एवं पत्रांक-683, दिनांक-29.05.2024 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न पूर्व चिन्हित आंदोलनकारियों (वर्तमान में मृत) के आश्रितों को नामित करते हुए लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित आंदोलनकारी विवरण	(मृत) का	चिन्हितरण एवं कंडिका संशोधन से संबंधित अधिसूचना	आश्रित नामित करने का आधार	संकल्प संख्या- 1938 दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में आयोग की अनुशंसा
1	नाम-अरूण मोदक पिता-स्व० गुही राम मोदक ग्राम चाकुलियाँ पोस्ट-चाकुलियाँ थाना चाकुलियाँ प्रखण्ड-चाकुलियाँ जिला पूर्वी सिंहभूम		अधिसूचना सं०-4920 दि०-10.08.2015	1. अंचलाधिकारी, चाकुलिया के पत्रांक-24, दिनांक- 27.02.2024 से निर्गत पारिवारिक सदस्यता सूची। 2. चिन्हित आन्दोलनकारी अरूण कुमार मोदक का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आश्रित का आधार कार्ड।	मसो० रीता रानी मोदक को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० अरूण मोदक की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
2	नाम-जयपाल मुण्डा पिता-स्व० शम्भु मुण्डा ग्राम कामारीगोड़ा पोस्ट- चाकुलियाँ धाना - चाकुलियाँ प्रखण्ड- चाकुलियाँ जिला- पूर्वी सिंहभूम		अधिसूचना सं०-4920 दि०-10.08.2015	1. अंचलाधिकारी, चाकुलिया के पत्रांक-44, दिनांक- 27.02.2024 से निर्गत पारिवारिक सदस्यता सूची। 2. चिन्हित आन्दोलनकारी जयपाल मुण्डा का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आश्रित का आधार कार्ड।	मसो० सोमवारी मुण्डा को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० जयपाल मुण्डा की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
3	नाम- हिमांशु शेखर राय पिता-किरिटी भुषण राय ग्राम-गौड़पाड़ा, कांकड़ीशोल पोस्ट-चाकुलियाँ थाना -चाकुलियों प्रखण्ड-चाकुलियाँ जिला-पूर्वी सिंहभूम		अधिसूचना सं०-4987	1. अंचलाधिकारी, चाकुलिया के पत्रांक-28, दिनांक- 27.02.2024 से निर्गत पारिवारिक सदस्यता सूची। 2. चिन्हित आन्दोलनकारी हिमांशु शेखर राय का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. आश्रित का आधार कार्ड।	मसो० मोनिका राय को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० हिमांशु शेखर राय की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।

4	नाम- खुदीराम हाँसदा पिता- लखन हाँसदा ग्राम बांगरकोला पोस्ट- नुतनगढ़ थाना धालभूमगढ़ प्रखण्ड - धालभूमगढ़ जिला - पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं०-4920 दि०-10.08.2015दि०- 18.09.2019	1.अंचलाधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्राक-28, दिनांक-10.04.2024 से निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. चिन्हित आन्दोलनकारी खुदीराम हाँसदा का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3 मसो० जोबा हाँसदा का आधार कार्ड।	मसो० जोबा हाँसदा को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० खुदीराम हाँसदा की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
---	--	---	---	--

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. भुगतान नहीं हो सके। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का

6. उक्त नामित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा तथा विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के तहत इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के उपसचिव।
